

बिहार सरकार  
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का०आ०सं० :-3/अ0प्र0-1-22/2014 320

/पटना, दिनांक :-26/5/26

श्री रविन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता, रूपौली प्रखंड (NREP) पूर्णियाँ सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, जॉच एवं गुणवत्ता नियंत्रण अंचल, पूर्णियाँ के हिरासत अवधि दिनांक 17.01.1991 से 31.01.1991 तक का सेवा विनियमन असाधारण अवकाश के रूप में करते हुए उक्त सेवा अवधि की गणना मात्र पेंशनादि के निमित्त किया जाता है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(आदित्य प्रकाश)

उप सचिव

ज्ञापांक :-3/अ0प्र0-1-22/2014 6476

/पटना/दिनांक :-26/5/26

प्रतिलिपि :-महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव

प्रतिलिपि :- 3/अ0प्र0-1-22/2014 6476

/पटना, दिनांक :-26-5-26

प्रतिलिपि :- सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव/अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण पटना/मुख्य अभियंता अनुरक्षण एवं उन्नयन, पटना/अधीक्षण अभियंता, जॉच एवं गुणवत्ता नियंत्रण अंचल, पूर्णियाँ/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-4/6/12/ आई० टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री रविन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता, रूपौली प्रखंड (NREP) पूर्णियाँ सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, जॉच एवं गुणवत्ता नियंत्रण अंचल, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव